



2026:AHC-LKO:14278-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 161/2026

दोस्त मोहम्मद एवं एक अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राज्य चुनाव आयोग एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – हरि शंकर तिवारी, चन्द्र भानु सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- रोहित त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि शंकर तिवारी, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित त्रिपाठी को सुना।
2. याचिकाकर्ता आगामी पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची पर अपनी आपत्तियों को स्वीकार न किए जाने से व्यथित हैं, जिसके लिए आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो कि 20.02.2026 थी, बढ़ा दी गई है।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी, अमेठी मामले को देखें और यदि आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है और कोई अन्य विधिक बाधा नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं और इसी प्रकार के अन्य लोगों की आपत्तियों पर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित स्तर पर विचार किया जाए।
4. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

23 फरवरी, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।